कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक–शिविरा–माध्य/संस्था/सी–ओए/डीपीसी/भूगोल–शिड्यूल 1/2019.20 दिनांक–05.08.2020 द्वारा कार्मिक के विरूद्व विचाराधीन राजस्थान असैनिक सेवायें (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 17 की कार्यवाही समाप्त किये जाने के फलस्वरूप राजस्थान शिक्षा सेवा नियम–1970 के नियम 24(2) (ए) के अन्तर्गत गठित पदोन्नति समिति द्वारा विवरणांकित कार्मिक को प्राध्यापक (स्कूल शिक्षा भूगोल (शेड्यूल I) की वर्ष 2019–20 की रिक्तियों के प्रति चयन किये जाने संबंधी शील्ड कवर रखे गये निर्णय की अनुपालना में इन्हें प्राध्यापक स्कूल शिक्षा भूगोल (शेड्यूल I) पद पर राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम 2017 के पे मेट्रिक्स वेतन लेवल 12 में प्राध्यापक (स्कूल शिक्षा) भूगोल के रिक्त पद पर पदस्थापित किया जाता है ।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.7(1)कार्मिक/क–2/95 दिनांक 20.06.2001 (33/01) के प्रावधानान्तर्गत ऐसे राज्यकर्मी जिनके दिनांक 01.06.2002 को या उसके पश्चात सन्तानोत्पति से दो से अधिक सन्तान हो तो वे नियमानुसार पदोन्नति पर कार्यग्रहण के पात्र नहीं होंगे, संबंधित नियन्त्रण अधिकारी /प्रधानाचार्य इसकी सुनिश्चितता करेंगे। संस्था प्रधान/नियन्त्रण अधिकारी कार्यमुक्त/कार्यग्रहण कराने से पूर्व पदोन्नत कार्मिक के नाम, वरिष्ठता क्रमांक/वर्ष, वर्तमान धारित पद, जन्म तिथि एवं धारित अर्हता का मिलान करना आवश्यक रहेगा। अन्यथा स्थिति में कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नही कराते हुए निदेशालय को रजिस्टर्ड डाक से एवं विभागीय ई–मेल so.csection@gmail.com पर तुरंत सूचित करेंगे।

पदोन्नत कार्मिक यदि अपनी पदोन्नति का परित्याग करना चाहता है, तो लिखित में प्रार्थनापत्र दिनांक 26/08/20 तक संस्था प्रधान को प्रस्तुत करेगा और संस्था प्रधान का उत्तर दायित्व होगा कि वो पदोन्नत कार्मिक को दिनांक–27/08/2020 (परित्याग प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में) को आवश्यक रूप में नवीन पदोन्नत स्थान हेतु कार्यमुक्त करेगें। पदोन्नत कार्मिक को दिनांक–29/08/2020 तक पदोन्नति पदस्थापन स्थान पर आवश्यक रूप से कार्यभार ग्रहण करना होगा। संस्था प्रधान संबंधित कार्मिक की कार्यमुक्ति/कार्यग्रहण का इन्द्राज शाला दर्पण पर अपडेट करावें।

इनको कार्यमुक्त करने से पूर्व संबंधित संस्था प्रधान यह पुष्टि अवश्य कर लेवें की जिस वरिष्ठता अवधि के आधार पर कार्मिक को पदौन्नत किया जा रहा है, उस अवधि के पश्चात उस कार्मिक की अर्न्तमण्डल स्थानान्तरण के फलस्वरूप पूर्व निर्धारित वरिष्ठता प्रभावित नही हुई हो। अर्न्तमण्डल स्थानान्तरण के फलस्वरूप पूर्व निर्धारित वरिष्ठता प्रभावित होने की स्थिति में ऐसे कार्मिक को, इस कार्यालय को वस्तुस्थिति बतलाते हुए अग्रिम निर्देश प्राप्त होने पर ही कार्यमुक्त किया जावेगा।

क्र. सं	वरिष्ठता सूची का क्रमांक	वरिष्ठता अवधि	वर्ग	नाम लोक सेवक एवं पद	कार्यरत स्थान	पदोन्नत पदस्थापन स्थान एवं जिला
1	2	3	4	5	6	7
1	11697	2011–12	सामान्य	श्रीमती प्रतिष्ठा साहू व.अ. गणित	राउमावि. संतोषीनगर क.व. कोटा	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL GANDIFALI (216612), LADPURA KOTA

(सौरभ स्वामी)
आई.ए.एस
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक– शिविरा/मा/संस्था/सी–5 /डीपीसी /2019–20/ दिनांक– 18/08/2020

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही बाबत्

1. शासन सचिव–शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा(ग्रुप–2)/कार्मिक(क–5)विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
4. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा विभाग, राजस्थान, बीकानेर।
5. समस्त संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा को सूचनार्थ ।
6. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय (माध्यमिक/प्रारंभिक)/प्रधानाचार्य डाईट/संस्था प्रधान को प्रेषित कर लेख है कि पदोन्नत कार्मिक पदोन्नति आदेश विभागीय वेबसाईट से डाउनलोड़ कर कार्यमुक्ति/कार्यग्रहण कराने के लिये अधिकृत होगें।
7. अनुभाग अधिकारी, कम्प्युटर अनुभाग, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट में अपलोड करने हेतु।
8. संबधित अधिकारी/कार्यालय/संस्थाप्रधान।
9. सहायक निदेशक वरिष्ठता/गोपनीय प्रतिवेदन/विभागीय जांच/ओएसी प्रभाग कार्यालय हाजा।
10. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)